



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP27021017540529T  
Certificate Issued Date : 09-Nov-2021 02:55 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0143488027669162T  
Purchased by : RAKESH PATEL S O BECHAI DAS AND OTHER  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : 3 BHK LAKE VIEW APARTMENT FLAT NO- 202 BLOCK NO- 3  
TARAMANDAL TEHSIL SADAR DISTT GORAKHPUR  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY GORAKHPUR  
Second Party : RAKESH PATEL S O BECHAI DAS AND OTHER  
Stamp Duty Paid By : RAKESH PATEL S O BECHAI DAS AND OTHER  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,58,500  
(Three Lakh Fifty Eight Thousand Five Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

For and behalf of  
Gorakhpur Development Authority

AE/Secretary

Rakesh Patel Kshamta Patel



0005109303

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

955 9847368



गोरखपुर विकास प्राधिकरण  
गोरखपुर




गोरखपुर विकास प्राधिकरण  
गोरखपुर


विक्रय-विलेख  
(आवासीय फ्लैट)


गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर जरिये श्री सुनील बिहारी सहज साहू  
गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवंटित फ्लैट का स्वामित्व प्राप्त किये जाने हेतु  
यह विलेख सन् 2021 ई0 मास के 15-11-2021 दिन शुक्रवार के  
दिनों तदनुसार शक सम्मत 1943 मास के 15-11-2021 पक्ष दिन शुक्रवार

कमशः .....2/-

for and behalf of  
Gorakhpur Development Authority

  
A.E. Kulkarni







(2)

को जिसको एतदपर्यात् " प्रथम पक्ष " कहा गया है तथा श्री/श्रीमती रविश पटेल 3/0  
श्री बेचंद दास व श्रीमती क्षमता पटेल 4/0 श्री रविश पटेल

निवासी प्रा० नरेंद्रा अजगरहा, पो० बनसिया खुर्द  
जिला - महुआजराज जिसको

एतदपर्यात् " द्वितीय पक्ष " कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है ।

कमरा: 3/-

*Ravesh Patel*

*Kshamta Patel*

for and behalf of

Signature Management Authority

*[Signature]*  
A E/Author



(3)

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि " द्वितीय पक्ष " को आवंटित हुआ था । आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट प्लैट का स्वामित्व मूलधन रू०- ५९५५५५०.०० व ब्याज रू०- ५५९९६.०० इस प्रकार कुल रू०- ५९९९५३६.०० ( शब्दों में कुल रूपया ~~त्रिंशत् लाख बीस हजार पाच सौ छत्तीस~~ ) के एवज में " द्वितीय पक्ष " को हस्तान्तरित किया जाना है ।

और चूँकि " प्रथम पक्ष " द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित 3 बी०एच०के० (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+8) ब्लॉक संख्या ...०३... में ~~द्वितीय~~ तल प्लैट संख्या २०२ का स्वामित्व आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है ।

और चूँकि जनपद गोरखपुर की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित प्लैट का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है ।


अतः " द्वितीय पक्ष " द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आस-पास के भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा ।

कमशः .....4/-

for and behalf of  
Gorakhpur Development Authority

  
A E / Secretary

Ravesh Lalit



Kshamta Patel




( 4 )

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संपठित एवं शासनादेश संख्या 1639/9-आ-1-95-80मिस/96 दिनांक 10 मई 1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/9-आ-1-95-89मिस/86 दिनांक 24.05.1995 के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित फ्लैट का स्वामित्व " द्वितीय पक्ष " में घोषित किये जाने हेतु " द्वितीय पक्ष " द्वारा " प्रथम पक्ष " को मूलधन रू०-५९५५५५०-५ व ब्याज रू०-५५९८६-५ इस प्रकार कुल रू०-५९८९५३६-५ ( शब्दों में कुल रूपया ~~इन्ध्याप्त लारव नवाही इजाजत पाच से इन्दीस~~ ) गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर स्थित कोषागार में चेक/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/रसीद संख्या १९३५५ व अन्य दिनांक ०७-१२-१९ व अन्य द्वारा किये गये भुगतान जिसकी प्राप्ति " प्रथम पक्ष " एतद्वारा स्वीकार करता है, के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका " द्वितीय पक्ष " पालन करेगा, को ध्यान में रखकर " प्रथम पक्ष " एतद्वारा वह सब भूमि उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है, और स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखा चित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर " द्वितीय पक्ष " का निजी स्वत्व प्रदान करते हैं । अतएव " द्वितीय पक्ष " उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशितों सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे ।

कमशः .....5/-

for and behalf of  
Gorakhpur Development Authority

  
AE/Stores



Kshamta Patel



( 5 )

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित फ्लैट पर " द्वितीय पक्ष " को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा । भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले फ्लैट के सम्बन्ध में इस समय देय करों अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा ।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनो पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा जिसपर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

कमशः .....6/-

for and behalf of  
Borakhpur Development Authority.

*Up*  
AE/Secretary

*Ramesh Patel*

Kshamta Patel

( 6 )

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय " द्वितीय पक्ष " द्वारा वहन किया जायेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द " प्रथम पक्ष " और " द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, " प्रथम पक्ष " में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों एवं समनुदेशितों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।


इस विलेख के साक्ष्य में " द्वितीय पक्ष " ने " प्रथम पक्ष " की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है ।

प्रश्नगत सम्पत्ति का न तो कब्जा दिया गया है और न ही पूर्व में कब्जा का प्रस्ताव दिया गया है । इस विलेख के पंजीयन के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा ।

कमशः .....7/-

Rakesh Patel

on and behalf of  
Bhopal Development Authority.

  
A.E. Sobren



Kshamta Patel



(7)

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

3 बी०एच०के० (बिसमेन्ट+स्टिल्ट+8) श्रेणी के ब्लाक संख्या ०३ में  
द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या २०२ स्थित लेक व्यू अपार्टमेन्ट आवासीय  
योजना कारपेट क्षेत्रफल ८७.२० वर्ग मीटर, आच्छादित क्षेत्रफल १०२.७५  
वर्ग मीटर आर० सी० सी० द्वितीय श्रेणी है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब - प्लॉट नं० - ३/२०१

पश्चिम - प्लॉट नं० - ३/२०३

उत्तर - प्लॉट नं० - ३/२०५

दक्षिण - प्लॉट नं० - २/२०५

कमशः .....८/-

*Lawesh Patel*

for and behalf of  
Gorakhpur Development Authority

*A.E. Secretar*

*Kshamta Patel*



(8)

फीहोल्ड के लिए " द्वितीय पक्ष " ने सम्पूर्ण धनराशि रु- 118962.00  
सरकारी कोषागार, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में चालान/रसीद संख्या 19355  
व अन्य दिनांक 07.12.19 व अन्य द्वारा जमा कर दी है।

*Karesh Patel*


Development Authority  
A.E./Secretary  
गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर  
से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत।

*Kshamta Patel*  
द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

नाम श्री शब्लेश परेव S/o श्री बेचई दास  
व श्रीमती क्षमता परेल w/o श्री शब्लेश परेल  
पता - कैलाश अजगरा, पो-जनसिंघा  
रुई, जिला - अहमदाबाद

साथी -

(1)

  
सहायक सचिव अतिरिक्त  
गोरखपुर विकास प्राधिकरण  
गोरखपुर

(1) प्रहलाद चौधरी  
S/o श्रीमती प्रहलाद  
मु-0 गुमनास  
पो-215412  
जिला-गोरखपुर  
(2)

(2)

*M.R.*  
मुन्नाशर्मा  
लिपिक

प्रफुल्ल सिंह  
S/o प्रहलाद  
कुशीमानपुर, पो-141111  
गोरखपुर

# गोरखपुर विकास प्राधिकरण

यह कि क्रेता इस तथ्य के कारण यह भी प्रसंविदा करता है, कि चूँकि योजनागत विकास में भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण (जिसमें कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं) एवं परिणामतः विक्रय-विलेख के निष्पादन एवं निबन्धन के समय विक्रेता विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारों के द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (एवार्ड) के आधार पर प्रीमियम तथा किराया निर्धारित करता है और चूँकि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि कुछ वर्षों बाद या तो न्यायाधीश या मा० उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये अभिनिर्णय के प्रतिकर की धनराशि बढ़ाई जा सकती है। तथा पक्षकार इस हेतु सहमत होते हैं यदि उपरोक्त प्राधिकारी के द्वारा इस प्रकार की कोई आकस्मिक घटना के प्रतिकर, तोषण (सोलेशियम) एवं या इस मद में ब्याज की वृद्धि हो जाये तो इस प्रकार की हुई वृद्धि की जिम्मेदारी विक्रीत रकबा योजना के सम्पूर्ण रकबा के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी। जिसकी क्रेता निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वहन करेगा :-

|  |                 |
|--|-----------------|
| (1) आवासीय भवन / भूखण्ड व्यक्ति अथवा संस्था के लिए         | वृद्धि का 100 % |
| (2) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग एवं साइट एण्ड सर्विसेज       | वृद्धि का 50 %  |
| (3) कार्यालय व्यावसायिक                                    | वृद्धि का 200 % |
| (4) औद्योगिक   | वृद्धि का 100 % |
| (5) स्कूल, पुलिस स्टेशन, शिक्षण संस्थान एवं सरकारी अस्पताल | वृद्धि का 50 %  |

एवं क्रेता इस प्रकार प्रतिकर से हुई वृद्धि के कारण बढ़े हुए अतिरिक्त प्रीमियम को विक्रेता द्वारा दिये गये मांग पत्र सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर अदा कर देगा। इसमें असफल होने पर यह राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जायेगी।

या कि पक्षकार इस पर सहमत होते हैं कि विलेख के निष्पादन एवं निबन्धन में होने वाले समस्त आकस्मिक एवं अन्य व्ययों को क्रेता के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

for and behalf of  
Gorakhpur Development Authority

*VP*  
A-E/Secretary


*Successh Patel*

Kshamta Patel



LAKE VIEW APARTMENT (3 B.H.K. FLAT)  
LAKE VIEW VISTAR SCHEME, NEAR TARAMANDAL  
LEASE PLAN

NAME OF THE ALLOTTEE.....  
 BLOCK NO. - ..... 3  
 FLOOR NO. - ..... SECOND FLOOR  
 FLAT NO. - ..... 3/202  
 FLAT AREA - ..... 3/202  
 1- CARPET AREA ..... 87.20 sqm.  
 2- COVERED AREA ..... 102.75 sqm.



BOUNDARIES OF FLAT:

EAST..... FLAT NO. - 3/201  
 WEST..... FLAT NO. - 3/203  
 NORTH..... FLAT NO. - 3/205  
 SOUTH..... FLAT NO. - 2/205


6.00 M. WIDE DRIVEWAY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6.00 M. WIDE DRIVEWAY

6.00 M. WIDE DRIVEWAY



for and behalf of  
Municipal Development Authority

*AE/...*

*farukh late*

*Kshamta Patel*

PLANNING SECTION

ENGINEERING SECTION

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
A.T.P.

*[Signature]*  
I.P.

*[Signature]*  
J.E.

*[Signature]*  
A.E.

*[Signature]*  
E.E.

DRAWN BY

A.T.P.

I.P.

J.E.

A.E.

E.E.

लेक व्यु अपार्टमेन्ट आवासीय योजना के अर्न्तगत श्री/श्रीमती शिवेय परेल 5/0  
श्री वेचरी दास व श्रीमती क्षमता परेल 4/0 शिवेय परेल

के पक्ष में आवंटित 3 बी0एच0के0  
(बेसमेन्ट+स्टिल्ट+8) ब्लाक संख्या 03 में द्वितीय तल पर फ्लैट  
संख्या 202 के मद में जमा धनराशि का विवरण निम्नवत है :-


|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1- फ्लैट का मूल्य  | रु0- <u>4944550-0</u> |
| 2- फीहोल्ड शुल्क   | रु0- <u>118962-4</u>  |
| 3- ब्याज की धनराशि | रु0- <u>44986-4</u>   |


कुल जमा धनराशि

रु0- 5108498-4

कुल जमा धनराशि शब्दों में रूपया रु. पावन लाख आठ हजार  
रु. अठानवे मात्र मात्र ।

or and better in  
Bhopal Development Authority

  
A. D. Sharma

  
Kshamta Patel

Kshamta Patel